न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी: श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांक: 15.02.2023

वाद सख्या: 106 / 2022

लक्ष्मी चंद पुत्र बुद्दीलाल जाति वैश्य, निवासी ग्राम सीकरी, तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला भरतपुर (राज.)

---वादी

बनाम

1. अजमत पुत्र चाव खॉं, जाति मेव, निवासी सीकरी तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला भरतपुर (राज.)
2. श्रीमान उप तहसीलदार हाल तहसीलदार तहसील सीकरी जिला भरतपुर

---प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:–

1. श्री संदीप मदान अधिवक्ता वादी।

निर्णय

यह वादपत्र वादीगण ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 643/0.19, 1017/0.27 वाके ग्राम सोलपुर पटटी तहसील सीकरी में अवस्थित है। आराजी खसरा नंबर 643/0.19 वाके ग्राम सोलपुर पटटी तहसील सीकरी साविक खसरा नंबर 577 रकवा 1 बीघा 16 बिश्वा वाके ग्राम सोलपुर पटटी तहसील सीकरी से एवं आराजी खसरा नंबर 1017/0.27 साविक खसरा नंबर 923 रकवा 19 बिश्वा से दौराने सैटिलमेन्ट कायम किये गये हैं। इसकी बाबत वादी ने नकल जमाबंदी साविक संवत 2011 से 2014, संवत 2015 से 2018, संवत 2019 से 2022, संवत 2023 तथा खसरा पत्रक भूप्रबंधक विभाग संवत 2028 एवं नक्शा शजरा किश्तवार मौजा सोलपुर पटटी एवं नक्शा नवीन एवं नक्शा ट्रेस संबंधित खसरा नंबर 643 एवं 1017 प्रस्तुत किये हैं। साविक खसरा नंबर 577 रकवा 1 बीघा 16 बिश्वा स्थित सोलपुर पटटी सीकरी से हाल खसरा नंबर 643/0.19 है0 कायम किया गया है जबकि साविक रिकार्ड के अनुसार साविक रकवा 1 बीघा 16 बिश्वा से 0.29 है0 रकवा कायम होना चाहिए था जो 0.10 है0 रकवा खिलाफ मौका, खिलाफ कानून सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा वादी का रकवा गलत रूप से कम कर दिया गया है और साविक खसरा नंबर 923 रकवा 19 बिश्वा से हाल खसरा नंबर 1017/0.27 है0 कायम किया है जो मुताबिक साविक रकवा 0.15 है0 होना चाहिए था परन्तु 0.12 है0 रकवा खिलाफ मौका, खिलाफ कानून अधिक दर्ज किया गया है जो की खिलाफ मौका व कानून है। अतः मुताबिक साविक रिकार्ड वादी का रकवा खसरा नंबर 643/0.19 है0 के स्थान पर 0.29 है0 सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज करना चाहिए था जो गैरकानूनी रूप से सैटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारीयों की लापरवाही के कारण कम दर्ज हुआ है जबकि वादी मौके पर

Scanned with CamScanner

आज भी खसरा नंबर 643 के 0.29 है0 रकवे पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा और प्रतिवादी अजमत 0.27 है0 के स्थान पर 0.17 है0 रकवे पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है वादी के उक्त रकवे से प्रतिवादी को कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है अतः प्रतिवादी की आराजी में से 0.10 है0 रकवा कम कर वादी की आराजी में शुद्ध किया जावे। प्रतिवादी उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी को रहन बय मुंतकिल करने पर आमदा हैं यदि प्रतिवादी अपनी उक्त मंशा मे सफल रहे तो वादी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरै नकद अथवा अन्य किसी तरह से नहीं हो सकेगी अतः बिदि वजह वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री डिक्लेरेशन प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री मुबीन खांन ने वकालातनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी द्वारा काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 11.07.2019 को प्रतिवादी का जबाब बंद किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं का शपथ पत्र, गवाह रामभरोसी पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी सीकरी का शपथ पत्र, गवाह शिवचरन पुत्र हीरालाल जाति जाटव निवासी सीकरी का शपथ पत्र एवं जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2011–14 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2015–18 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2019–22 प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत 2023–26 प्रदर्श–5, खसरा पत्रक भू–प्रबंध विभाग संवत 2028 प्रदर्श–6, अक्श शजरा किश्तवार मौजा प्रदर्श–7, अक्श शजरा प्रदर्श–8, प्रस्तुत किये हैं। पैरोकार सरकार तहसीलदार सीकरी ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी के रकवे में जो कमी बेशी हुई है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य स्थित गै0मु0 रास्ते की चौडाई में परिवर्तन के कारण हुई है। अतः दावा वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण योग्य है।

विगत तारीख पेशी पर वादी अभिभाषाक की बहस सुनी गई, बहस में वकील वादी ने कथन किया कि साविक रिकार्ड एवं हाल रिकार्ड का मिलान करने पर साबित है कि दौराने सेटिलमेन्ट भू–प्रबंध अधिकारियों ने विरूद्ध मौका व कानून वादी की आराजी का रकवा कम कर प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी में बढा दिया जिसे शुद्ध करा पाने का वादी हकदार है।

विगत तारीख पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं तहसीलदार सीकरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि कि बन्दोबस्त विभाग के द्वारा साविक खसरा नंबर 577 रकवा 1 बीघा 16 बिस्वा का नवीन खसरा नंबर 643/0.19 बनाया है जबकि मुताबिक साविक रिकार्ड हाल रिकार्ड में रकवा 0.29 है0 होना चाहिए जबकि हाल रिकार्ड में रकवा 0.10 है0 कम आया है जो कि विधिसंगत नहीं है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 के साविक खसरा नंबर 923 रकवा 19 बिस्वा का नवीन खसरा नंबर 1017/0.27 बनाया है जिसका रकवा मुताबिक साविक खसरा नंबर 0.15 है0 होना चाहिए परन्तु भू–प्रबंध अधिकारियों न कानून के इतर प्रतिवादी के रकवे में 0.12 है0 रकवा बढा दिया है अतः वादी साविक रिकार्ड के मुताबिक अपने आराजी खसरा नंबर 643 का रकवा हाल रकवा 0.19

10/2/23

Scanned with CamScanner

है0 के स्थान पर 0.29 करा पाने का अधिकारी है। अतः दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है। बाद अवलोकन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी का साविक आराजी खसरा नंबर 577 रकवा 1 बीघा 16 बिस्वा का नवीन खसरा नंबर 643/0.19 बनाया है जबकि मुताबिक साविक रिकार्ड हाल रिकार्ड में रकवा 0.29 है0 होना चाहिए जबकि हाल रिकार्ड में रकवा 0.10 है0 कम आया है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 का साविक खसरा नंबर 923 रकवा 19 बिस्वा का नवीन खसरा नंबर 1017/0.27 बनाया है जिसका रकवा मुताबिक साविक खसरा नंबर 0.15 है0 होना चाहिए परन्तु भू–प्रबंध अधिकारियों ने कानून के इतर प्रतिवादी के रकवे में 0.12 है0 रकवा बढा दिया है जिसे शुद्ध किया जाना न्याय संगत है अतः दावा वादी स्वीकार योग्य होने के कारण इस प्रकार डिकी किया जाता है कि मुताबिक साविक रिकार्ड, हाल रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी खसरा नंबर 1017/0.27 बाके ग्राम सोलपुर पट्टी सीकरी में से 0.10 है0 रकवा कम किया जाकर वादी के आराजी खसरा नंबर 643/0.19 बाके ग्राम सोलपुर पट्टी सीकरी में सम्मिलित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के आराजी खसरा नंबर 1017 का रकवा 0.17 है0 एवं वादी के आराजी खसरा नंबर 643 का रकवा 0.29 है0 शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो।

15/2/23

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner